

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (2) गै0यो0-बजट (आवंटन)-02/2023.....²⁶⁷⁴

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग,
पटना- 7
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक :- 11/4/2023

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आवंटन अधियाचना के संबंध में।।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आपके अधीनस्थ कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आवंटन अधियाचना पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में दिनांक 15.04.2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विहित प्रपत्र में अधियाचना प्राप्त होने पर ही संबंधित कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा।

कृपया इसे 'अत्यावश्यक' समझा जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त

विश्वासभाजन




(अनिल कुमार सिंह)

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक- 02/भू0अ0नि0 (2) गै0यो0-बजट (आवंटन)-02/2023.....²⁶⁷⁴ पटना दिनांक 11/04/2023

प्रतिलिपि :- श्रीमति सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।



सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

परिशिष्ट-1

भू-अभिलेख एवं परिभाषा निदेशालय एवं बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग के लिए आवंटन अधियाचना संबंधी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम :-

क्र०सं०	विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का ब्यौरा	फरवरी 2024 तक (बारह माह) के लिए कुल अधियाचना	प्रथम चार माह के लिए (जून 2023 तक) के लिए कुल अधियाचना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	01 01	वेतन			
2	01 03	जीवन यापन भत्ता			
3	01 04	मकान किराया भत्ता			
4	01 05	परिवहन भत्ता			
5	01 06	चिकित्सा भत्ता			
6	01 07	अन्य भत्ता			
7	05 01	पुरस्कार			
8	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति			
9	11 01	यात्रा व्यय			
10	13 01	कार्यालय व्यय			
11	13 02	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव			
12	13 03	दुश्भाष			
13	13 04	विद्युत प्रभार			
14	13 05	विधि प्रभार			
15	13 10	भाड़े की गाड़ी का भुगतान			
16	14 01	किराया महसूल एवं कर			
17	21 01	सामग्री एवं पूर्तियाँ			
18	28 02	संविदा सेवाएँ			
19	52 01	मशीनें एवं उपस्कर			
कुल योग :-					

नोट :- उपरोक्त प्रतिवेदन में बकाया वेतन की राशि सम्मिलित नहीं किया जाय। बकाये वेतन की राशि के लिए कर्मचार अलग से अधियाचना प्रेषित की जाय।